Determination of the age of Central Government Employees

457. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2561 given in the Rajya Sabha on the 8th August, 1989 and state:

(a) what are the reasons for not making the criterion laid down by the Supreme Court for determining the date of birth of a person in an election petition, applicable to Central Government employees for determining their date of birth;

(b) whether it is a fact that the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions have in some cases accepted change in date of birth of Central Government employees on the basis of the entry in the Birth Register and in others it has rejected on the plea that it should be on the basis of the date given in school/Matriculation certificate; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) The date of birth of a person entering service under the Government is regulated by statutory provisions contained in the General Financial Rules, 1963. The judgement of the Supreme Court in the context of provisions of Art. 173(b) of the Constitution, is in relation to the qualification of a candidate with reference to age for contesting elections to State Assembly. The rationale laid down in the judgement does not *ip so facto* apply for determining the date of birth of Government employees.

(b) and (c) A Ministry/Department itself is competent to decide request made by an employee working therein for change of date of birth if it fulfills all the conditions laid down in Note 5 of Fundamental Rule 56. Where, however, any of the conditions laid down in Note 5 is required to be relaxed on the merits of the case, the matter is referred to by the Administrative Ministry/Department to the Department of Personnel and Training and the case is decided in consultation with that Department. The above said procedure is also followed where the request for change in the date of birth is made on the basis of the entry in Birth Register.

राजस्थान के पश्चिमी भाग में वृक्षारोपण

458. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान के पश्चिमी भाग में वृक्ष लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है और इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन-कौन से वृक्ष लगाये जा सकते हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) राजस्थान में प्रति वर्ष कितने क्षेत्रफल में वन काट दिये जाते हैं और वहां कितने क्षेत्रफल में वन लगाये जाते हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप उस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हो रही हैं अथवा कमी हो रही है;

(घ) गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा राजस्थान के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और किस सीमा तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकी; और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और क्या कागजों में दर्शाये गये प्राप्त परिणाम वास्तव में प्राप्त किये गये परिणाम हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं । राजस्थान में वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है । राजस्थान के मरुस्थल में लगाई जा रही मुख्य प्रजातियों में खेजड़ी, बेर, रोहिड़ा, शीशम,

सिरिस, इजराइली, बबूल, देसी बबूल, फौग, खीम्प आदि शामिल हैं ।

(ग) राजस्थान में सातवीं योजना अवधि (1985–86) के दौरान वनीकरण की वार्षिक दर 0.56 लाख हैक्टेयर है । वनों के समाप्त होने की वार्षिक दर का कोई अनुमान नहीं है । भारतीय वन सर्वेक्षण की अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 1981–83 से 1985–87 की अवधि के दौरान वन आवरण में न्यूनतम वृद्धि हुई है ।

(घ) और (ङ) राजस्थान में सातवीं योजना अवधि (1985–90) के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण के लक्ष्य और उपलब्धि तथा इन कार्यकलापों पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

लक्ष्य	:	2.66 लाख हैक्टेयर
उपलब्धि	:	2.82 लाख हैक्टेयर
व्यय*	:	125.79 करोड़ रुपए

[*अंतिम सामंजस्य हो जाने की स्थिति में]

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित ग्रेड तथा पदोन्नतियां दिया जाना

459. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेड़ों के अनुसार ग्रेड तथा पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं और इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : वेतनमानों के संशोधन की योजना, जो अध्यापकों को आजीविका प्रोन्नति भी प्रदान करती है, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी है । राज्य विश्वविद्यालयों के लिए संबंधित राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने होते हैं । प्राप्त सूचनानुसार अभी तक निम्नलिखित राज्यों ने योजना कार्यान्वित की है: आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ।

योजना के कार्यान्वयन पर बिहार व सिक्किम की सरकारें विचार कर रही हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की हैं, जिसमें लेक्चरर (सीनियर वेतनमान) लेक्चरर (सेलेक्शन ग्रेड) और रीडर की पदोन्नति की कार्यपद्धति दर्शाई गई है ।

"बाघ परियोजना" सवाई माधोपुर में जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी

460. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बाघ परियोजना" सवाई माधोपुर में मई तथा जून में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अथवा राजस्थान सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस "बाघ परियोजना" में जानवरों की संख्या में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है; और इस समय वहां कितने जानवर हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केन्द्र सरकार ने सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर बाघ रिजर्व में तालाबों, कुंओं को गहरा करने, बांधों, अवरोध बंधों के निर्माण और वर्तमान जलगर्तों (वाटर होल्स) के रख-रखाव आदि जैसे जल संरक्षण कार्यों के लिये 1989–90 में 5.40 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।